राज्य आयुक्त दिव्यांगजन की अध्यक्षता में किया गया मोबाइल कोर्ट का आयोजन

अमर भारती संवाददाता, मेरठ। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की मूल भावना के अनुसार सुदूरवर्ती पिछड़े इलाको के लोगो (दिव्यांगजन) जो कि सरकार द्वारा उनके अधिकार एवं सुविधाओं हेतु चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं से जागरूक नही है, के मध्य जागरूकता बढ़ाने के लिये और समाज में उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त कराने तथा पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी दिलाये जाने एवं उनकी शिकायतों/समस्याओं को त्वरित रूप से स्थानीय स्तर पर निस्तारित कराए जाने के उद्ददेश्य से आज जिला पंचायत सभागार में राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन उ0प्र0 प्रो0 हिमांशु झा की अध्यक्षता में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। मोबाइल कोर्ट में 83 दिव्यांगजनों की शिकायते दर्ज कर सम्बन्धित अधिकारी को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया तथा राज्य आयुक्त महोदय द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में दिव्यांगजनों के निहित अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गयी तथा सभी अधिकारियों को दिव्यांगजनों का कार्य सुगमता पूर्वक पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी, उपनिदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, मेरठ मण्डल, मेरठ, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी मेरठ के अतिरिक्त जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

सभागार
द्वारा

वॉयस ऑफ लखनऊ
लखनऊ, गुरुवार, 19 जून, 2025

दिव्यांगजनों की समस्याओं पर मोबाइल कोर्ट का आयोजन

आयुक्त ने 67 प्रकरणों का किया निस्तारण

श्रावस्ती। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की मूल भावना के अंतर्गत आशा एएनएम सेंटर भिनगा में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मा० आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश लखनऊ प्रो० हिमांशु शेखर झा ने की। उनके साथ उपायुक्त शैलेन्द्र कुमार सोनकर एवं विधि अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी भी उपस्थित रहे। मोबाइल कोर्ट में 67 दिव्यांगजनों की समस्याओं जैसे दिव्यांग पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन, आवास, सहायक उपकरण आदि का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र यूडीआईडी पोर्टल से नियमानुसार जारी करने के निर्देश दिये गये। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, परिवहन, स्वास्थ्य, नगर विकास, खाद्य एवं आपूर्ति, राजस्व, पंचायतीराज, बिजली विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी व बैंक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मित्र मौजूद रहे। (संवाद)

रोजगार, आवास व पेंशन के लिए भटक रहे दिव्यांग

विकास भवन सभागार में आयोजित मोबाइल कोर्ट में मौजूद दिव्यांगजन। -संवाद

संवाद न्यूज एजेंसी

बलरामपुर। शुक्रवार को विकास भवन सभागार में आयोजित मोबाइल कोर्ट के दौरान उस समय भावुक दृश्य सामने आया, जब बड़ी संख्या में दिव्यांगजन अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। किसी को सिर छुपाने की छत नहीं तो कोई महीनों से पेंशन का इंतजार कर रहा है। वहीं कोई रोजगार की तलाश में भटकते-भटकते थक चुका है।

मोबाइल कोर्ट में राज्य दिव्यांगजन सशक्तिकरण आयुक्त हिमांशु शेखर झा एवं राज्य उपायुक्त शैलेंद्र कुमार सोनकर ने लोगों की समस्याएं सुनीं। जैसे-जैसे फरियादी मंच पर आते गए, सभागार में सन्नाटा और भावनाओं का ज्वार उमड़ता गया। भटपुरवा बालपुर निवासी गोकरन प्रसाद ने बताया कि उन्हें अब तक सरकारी आवास नहीं मिला है। फटवा शिवपुरा के कौशल किशोर ने मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल और आवास की मांग रखी। उदईपुर के राम चरन, रघवापुर जबदहा के सुधीर कुमार और प्रमिला ने पेंशन, नौकरी और आवास न मिलने पर असंतोष जताया। वहीं बलरामपुर के अर्जुन प्रसाद, द्वारिका प्रसाद, राघवराम और अब्दुल कलाम ने दिव्यांग प्रमाणपत्र, आर्थिक सहायता और ट्राइसाइकिल न मिलने की शिकायत की।

कुछ ने वर्षों से लंबित फाइलों की ओर इशारा किया, तो कुछ ने कहाकि हर जगह जाते हैं, कोई सुनता नहीं। राज्य आयुक्त ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए।

■ **अधिकारियों की गैरहाजिरी पर भड़के आयुक्त :** कार्यक्रम में कई विभागीय अधिकारी समय से नहीं पहुंचे। इस पर राज्य आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए कहा कि दिव्यांगों की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ डीएम के माध्यम से नोटिस जारी करने की चेतावनी दी।

■ **एजेंसियों से समन्वय की अपील :** जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी तनुज त्रिपाठी ने बताया कि मोबाइल कोर्ट में आए सभी दिव्यांगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया गया है। कार्यक्रम में डीडीओ विकास सोनी, पीडी राघवेंद्र तिवारी, प्रोबेशन अधिकारी सुशील कुमार सिंह, समाज कल्याण अधिकारी डॉ. राहुल गुप्ता और सीएमओ डॉ. मुकेश कुमार रस्तोगी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

साहब! मेरे बेटे का इलाज नहीं किया जा रहा, प्रमाण पत्र बनवा दीजिए

राज्य आयुक्त दिव्यांगजन व उपायुक्त ने सुनी दिव्यांगजन की व्यथा

विकास भवन सभागार में दिव्यांगों की समस्याएं सुनते राज्य आयुक्त दिव्यांजन हिमांशु शेखर झा एवं उपायुक्त शैलेंद्र कुमार सोनकर • जागरण

विकास भवन सभागार में बच्चे को गोद में लेकर शिकायत करता पिता • जागरण

संवादसूत्र, जागरण • बलरामपुरः साहब दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बन नहीं पा रहा है। इससे बेटे का उपचार कराने में परेशानी होती है। दोनों पैरों से दिव्यांग आठ वर्षीय युग मिश्र को गोद में उठाए सदर ब्लाक के कल्याणनगर निवासी बेबस पिता ने विकास भवन सभागार में आयोजित मोबाइल कोर्ट न्यायालय की सुनवाई में राज्य आयुक्त दिव्यांजन हिमांशु शेखर झा एवं उपायुक्त शैलेंद्र कुमार सोनकर को यह पीड़ा सुनाई। इसी तरह अन्य दिव्यांगों ने अधिकारियों को अपनी व्यथा बताकर प्रमाण पत्र बनवाने की गुहार लगाई।

कुछ ऐसा रहा सभागार का नजाराः सदर ब्लाक के उदयराजपुरवा हंसुआडोल के राघवराम ने शिकायत किया कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र होने के बाद भी पेंशन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री योजना के तहत आवास का लाभ नहीं मिल रहा है। अधिकारियों ने शिकायत के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। इसी ब्लाक के भटपुरवा बालपुर के गोकरन प्रसाद ने भी आवास न मिलने की शिकायत की। इसी तरह मोबाइल कोर्ट में 30 दिव्यांगजन ने आवास दिलाने की मांग की है। चार लोगों ने प्रमाण पत्र बनवाने की गुहार लगाई। वहीं तीन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र होने के बावजूद किसी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।

आयुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देशः राज्य आयुक्त ने मुख्य चिकित्साधिकारी डा. मुकेश कुमार रस्तोगी को शीघ्र ही दिव्यांजन का प्रमाण बनवाने व मुख्य विकास अधिकारी को दिव्यांगों की पात्रता सत्यापन कराकर आवास दिलाने का निर्देश दिया। कहा कि दिव्यांगजनों के अधिकांश मामले प्रमाण पत्र न बनने के आते हैं। ऐसे में दिव्यांग योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं।

बहुत से ऐसे दिव्यांगजन हैं, जो अपनी समस्या न्यायालय तक पहुंचा पाते हैं। इसको लेकर प्रत्येक जनपद में मोबाइल कोर्ट न्यायालय का आयोजन कर दिव्यांगों की समस्या सुनकर त्वरित कार्रवाई की जाती है।

इसमें संबंधित अधिकारी को शीघ्र दिव्यांगों की समस्या को दूर करने को लेकर निर्देशित किया जाता है। बताया कि मोबाइल कोर्ट न्यायालय के आयोजन से दिव्यांगजन अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्या बताते हैं। समस्या का समाधान होने पर उनको योजना का लाभ भी मिलता है। कार्यक्रम के दौरान परियोजना निदेशक राघवेंद्र तिवारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी तनुज त्रिपाठी, जिला प्रोबेशन अधिकारी सुशील कुमार सिंह, समाज कल्याण अधिकारी डा. राहुल गुप्त मौजूद रहे।

जिले की महत्वपूर्ण खबरें
www.jagran.com पर पढ़ें

जिले में आयोजित मोबाईल कोर्ट में दिव्यांगजनों के 22 प्रकरणों की हुई सुनवाई

मिथिलेश जायसवाल
ब्यूरो चीफ दि ग्राम टुडे

बहराइच। जनपद के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत दिव्यांगजनों की समस्याओं का निस्तारण कराए जाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट के जनता दर्शन हाल में आयोजित मोबाईल कोर्ट में दिव्यांगजनों की समस्याओं की सुनवाई करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिये गये। मोबाईल कोर्ट में अधिकतर प्रकरण श्रवण बाधित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र को लेकर सामने आये। सुनवाई के दौरान पाया गया कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए ओ.पी.डी. अथवा अन्य माध्यमों से आने वाले दिव्यांगजनों को के.जी.एम.यू. लखनऊ को संदर्भित किया जा रहा है जहां पर पूरे प्रदेश से आने वाले प्रकरणों की बहुलता के कारण दिव्यांगजनों को वर्षों अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है जबकि मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों को जनपद श्रावस्ती के लिए रेफर किया जा रहा है।

इस स्थिति का कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य आयुक्त व उपायुक्त द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया गया कि दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने से सम्बन्धित प्रकरणों को 01 सप्ताह में निस्तारित कराया जाय। मोबाईल कोर्ट की मंशानुरूप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजय कुमार ने तत्काल मुख्य चिकित्साधिकारी श्रावस्ती से मोबाईल पर वार्ता कर दिव्यांगता जांच के लिए तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया। सीएमओ श्रावस्ती द्वारा जांच के लिए 20 जून 2025 की तिथि निर्धारित करने पर निर्णय लिया गया कि 20 जून 2025 को सीएमओ कार्यालय, बहराइच से एक वाहन श्रवण बाधित दिव्यांगजनों को श्रावस्ती ले जाकर उनका परीक्षण कराते हुए दिव्यांगता प्रमाण-पत्र हेतु कार्यवाही तत्काल की जायेगी।

राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश प्रोफेसर हिमांशु शेखर झा ने कहा कि मोबाईल कोर्ट के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि दिव्यांगजनों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर समयबद्ध ढंग से उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाय। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि दिव्यांगजनों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होकर त्वरित निस्तारण करायें। राज्य आयुक्त ने कहा कि उन समस्याओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भी शीर्ष प्राथमिकता है। मेडिकल बोर्ड पर चर्चा करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया गया कि सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाय तथा लम्बी अवधि से बोर्ड में कार्यरत चिकित्सकों के स्थान पर दूसरे चिकित्सकों को शामिल कर कृत कार्यवाही से अवगत भी करायें। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि किसी भी स्तर पर फर्जी प्रमाण-पत्र न निर्गत हों तथा जारी किये गये प्रमाण-पत्रों का दुरूपयोग न होने पाये।

उपायुक्त शैलेन्द्र कुमार सोनकर ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, 13 दिसम्बर, 2006 को दिव्यांगजनों के अधिकारों पर उसके अभिसमय को अंगीकृत किया था। अंतर्निहित गरिमा, वैयक्तिक स्वायत्तता के लिए आदर, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की स्वयं की पसंद की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की स्वतंत्रता भी है। अविभेद, समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और सम्मिलित होना, मानवीय भेदभाव और मानवता के भाग के रूप में दिव्यांगजनों की भिन्नता के लिए आदर और उनका ग्रहण, अवसर की समानता, पहुंच, पुरुषों और स्त्रियों के बीच समता, दिव्यांग बालकों की बढ़ती हुई क्षमता के लिए आदर और दिव्यांग बालकों की पहचान परिरक्षित करने के उनके अधिकार के लिए आदर भी सम्मिलित है। उन्होंने बताया कि नये एक्ट में 21 प्रकार की दिव्यांगता सम्मिलित है। दिव्यांगजन को दिव्यांगतासूचक शब्दों से सम्बोधित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एफ.आई.आर. दर्ज की जा सकती है।

मोबाईल कोर्ट के दौरान कुल 22 प्रकरणों की सुनवाई की गई। जिसमें 12 प्रकरण दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, 05 प्रकरण पेंशन, 03 प्रकरण भूमि विवाद तथा 01-01 प्रकरण दिव्यांग बच्चों के स्कूल खोले जाने तथा लोक निर्माण विभाग में स्थानान्तरण से सम्बन्धित था। पेंशन से सम्बन्धित प्रकरणों के सम्बन्ध में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को निर्देश दिया गया कि विभागीय अधिकारियों से समन्वय कर निस्तारण सुनिश्चित करायें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि राईट टू एजूकेशन के तहत समस्त दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद, जिला विकास अधिकारी राज कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता विद्युत शैलेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रदीप कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रद्धा पाण्डेय, जिला पंचायत राज अधिकारी सर्वेश कुमार पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0 प्र0

कार्यालय जिला सूचना अधिकारी सुलतानपुर

समाचार पत्र का नाम : दैनिक जागरण प्रकाशन स्थल लखनऊ दिनांक 22/04/2025

जारी हो रहा अस्थाई दिव्यांगता प्रमाण पत्र

जागरण संवाददाता • सुलतानपुर: दिव्यांगजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए सोमवार को मोबाइल कोर्ट में एसीएमओ सहित मेडिकल बोर्ड के सदस्यों कर क्लास लगी। ऐसा इसलिए कि विकास भवन प्रेरणा सभागार में राज्य आयुक्त प्रो. हिमांशु शेखर झा की मोबाइल कोर्ट में अस्थाई दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाने का प्रकरण सामने आया। जबकि, इस पर 2016 से रोक लगी हुई है। आयुक्त ने जब इस बारे में उपस्थित मेडिकल बोर्ड के सदस्यों से जानकारी मांगी तो सभी ने इससे अनभिज्ञता जाहिर की।

इसके बाद सीएमओ को बुलाने का निर्देश हुआ। उनके स्थान पर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (एसीएमओ) डा. जेसी सरोज आए। जब उनसे यह पूछा गया तो वह स्टाफ से पता करके जानकारी देने की बात कहे। इस पर आयुक्त व उनके साथ आए उपायुक्त दिव्यांगजन शैलेन्द्र कुमार सोनकर से आक्रोश व्यक्त किया। कहा कि इस तरह के प्रमाण पत्र को कतई न बनाया जाए। इसके दुरुपयोग होने की संभावना रहती है। इसलिए इसे बंद किया गया। मामला मोतिगरपुर दियरा के मल्लू राम से जुड़ा था। उनका पुनः परीक्षण कर, यदि संभव हो तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एसीएमओ को निर्देशित किया गया। साथ ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए सप्ताह में तीन दिन बोर्ड की बैठक करने के लिए निर्देश दिए गए। बोर्ड में सदस्यों की संख्या बढ़ाने व सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ न होने की स्थिति में निजी चिकित्सकों की सेवा लेने के भी निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि उनके निर्देश को गंभीरता से लिया जाए। इस कोर्ट को सिविल कोर्ट की तरह शक्ति प्राप्त है। अवज्ञा पर पांच से 10 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

विकास भवन प्रेरणा सभागार में लगी अदालत में सुनवाई करते राज्य आयुक्त दिव्यांगजन प्रो.हिमांशु शेखर झा, दाएं से तीसरे • जागरण

आए 82 प्रकरण, आवास तो किसी ने दर्ज कराई कब्जे की समस्या

अदालत में कुल 82 मुकदमे आए। सभी का निस्तारण किया गया। सबसे अधिक आवास, शौचालय व कृत्रिम उपकरण, रोजगार आदि संबंधित प्रकरण रहे। कादीपुर के पलियादेवापुर के हरीराम ने आबादी की भूमि पर दूसरे द्वारा कब्जा कर लेने का मामला उठाया। मोतिगरपुर काछा भिटौरा माधवपुर के पति-पत्नी विनोद कुमार व मंजू गुप्ता दिव्यांग हैं। आवास की मांग की। कई दिव्यांगों की यही मांग रही। चल रहे सर्वे में कुछ का पंजीयन हो गया है, जिनका नहीं हुआ है, उनका कराने का आश्वासन परियोजना निदेशक एके सिंह ने दिया। कोर्ट ने सीडीओ से स्पष्टीकरण मांगा है। जयसिंहपुर के बरौंसा की पुष्पा देवी को तीन वर्ष से पेंशन नहीं मिल रही है।

हिन्दुस्तान

82 शिकायतों की सुनवाई की गई

सुलतानपुर। दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित लंबित समस्याओं के निस्तारण के लिए न्यायालय/मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। जिसमें दिव्यांगों से सम्बन्धित 82 शिकायतों की सुनवाई की गई। कार्यवाही के लिए सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया गया।

जिले के विकास भवन में सोमवार को राज्य आयुक्त दिव्यांगजन प्रो हिमांशु झा की अध्यक्षता में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। जिसमें दिव्यांगों को उपलब्ध सुविधाएं दिव्यांगता प्रमाणपत्र निर्गत किए जाने, विद्युत, पीएम ग्रामीण आवास, राशनकार्ड, पेयजल, दिव्यांग पेंशन, दुकान संचालन के लिए ऋण आदि से सम्बन्धित समस्याओं की सुनवाई की गई।

अमर उजाला

राज्य आयुक्त ने सुनीं 82 दिव्यांगों की शिकायतें

सुल्तानपुर। राज्य आयुक्त दिव्यांगजन हिमांशू झा ने सोमवार को विकास भवन के प्रेरणा सभागार में दिव्यांगजनों की शिकायतें सुनीं। दिव्यांगजनों को उपलब्ध सुविधाएं, दिव्यांगता प्रमाणपत्र निर्गत किए जाने, विद्युत, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, राशन कार्ड, पेयजल, दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, दुकान संचालन ऋण आदि के संबंध में आयोजित मोबाइल कोर्ट में राज्य आयुक्त ने 82 शिकायतों की सुनवाई की। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को जांच कर त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही लाभार्थियों को आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई। कई दिव्यांगजनों को प्रमाणपत्र भी वितरित किए गए। (संवाद)

जिलाधिकारी महोदय की सेवा में,
अवलोकनार्थ प्रेषित

बालिग दिव्यांगों के स्थायी प्रमाणपत्र बनाएं

राज्य आयुक्त दिव्यांगजन प्रोफेसर हिमांशु शेखर झा ने दिए निर्देश

संवाद न्यूज एजेंसी

बाराबंकी। राज्य आयुक्त दिव्यांगजन प्रो. हिमांशु शेखर झा ने शुक्रवार को नगर पालिका परिषद के सभागार में मोबाइल कोर्ट लगाकर दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनीं। 101 शिकायतें आईं जिनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले दिव्यांगजनों को पांच वर्ष की समयावधि के लिए अस्थायी प्रमाणपत्र जारी किए जाने से स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर रोक लगाने के आदेश दिए।

उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम यानि नाबालिग का ही अस्थायी प्रमाणपत्र बनाया जाता है लेकिन यहां कई मामले ऐसे सामने आए जिनमें अस्थायी प्रमाणपत्र के कारण उम्रदराज दिव्यांग भटक रहे हैं। इसलिए स्पष्ट आदेश दिया गया है कि बालिग दिव्यांगों का स्थायी प्रमाणपत्र ही जारी किया जाए।

उन्होंने बताया कि ज्यादातर शिकायतें आवास, प्रमाणपत्र, राशनकार्ड, पेंशन व

दिव्यांगों की समस्याएं सुनते राज्य आयुक्त दिव्यांगजन प्रो. हिमांशु शेखर झा। -संवाद

बिजली कनेक्शन आदि की आईं। इस मौके पर सहायक आयुक्त शैलेंद्र कुमार, एसडीएम सदर आनंद तिवारी, सीओ सुमित त्रिपाठी, बीएसए संतोष देव पांडेय, जिला समन्वयक समेकित शिक्षा सुधा जायसवाल, दिव्यांग कल्याण अधिकारी एजाजुल हक आदि मौजूद रहे।

नवीन आवंटी को दें कनेक्शन : कांशीराम कॉलोनी के आवास का आवंटन दूसरी बार जिस दिव्यांग को मिला, उसे बिजली विभाग कनेक्शन नहीं दे रहा था। विभाग का तर्क था कि आवास पहले जिसके नाम आवंटित है, उसने बिजली बिल नहीं जमा किया। इस पर आयुक्त ने आदेशित किया कि नवीन आवंटी को बकाये से कोई मतलब नहीं। नया कनेक्शन दिया जाए। शमशेर अली ने 11 महीनों से बंद पेंशन दिलाने, जानकी प्रसाद ने ट्राईसाइकिल व मीरा देवी ने भी पेंशन दिलाने की मांग की।

दिव्यांगों के सफल मोबाइल कोर्ट ने दिखाया तंत्र को आईना

जासं • अयोध्या : दिव्यांगों की एक ऐसी अदालत लगी, जिसमें तंत्र के दावों की पोल खुल गई। तेजवापुर-डिहवा के दिव्यांग अजय कुमार ने सड़क का प्रकरण उठाया। बताया कि वह 1996 से दौड़ते-दौड़ते थक गया। राजस्व अभिलेख में सड़क है। शिकायत करने पर लेखपाल आते है। पैमाइश कर कब्जा करने वाले से रुपये लेकर चले जाते हैं। सड़क से कब्जा खाली नहीं होता। सरकारी तंत्र के दावों को आईना दिखाने वाली मोबाइल अदालत दिव्यांगों के हित में सफल रही। सभागार में एक भी कुर्सी खाली नहीं थी। कुर्सी पर दिव्यांग व उनके परिजन बैठे थे। ऐसे कई मामले सामने आये, जिससे सरकारी कार्यशैली का सच उजागर हुआ। प्रमाणपत्र के लिए दौड़ाने की शिकायतें आम रहीं। बोलने व न सुनने की दिव्यांगता के आए सर्वाधिक मामलों से राज्य आयुक्त दिव्यांगजन हिमांशु शेखर हतप्रभ रह गए। सुनवाई के बाद मुख्य चिकित्साधिकारी सुशील कुमार को इस ओर विशेष गौर करने व प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश पारित किया। जिला स्तरीय अदालत में बाराबंकी जिले के भिटरिया के

ऋषभ सिंह को दिव्यांगता प्रमाणपत्र देते राज्य आयुक्त दिव्यांगजन हिमांशु शेखर व बाराबंकी के भिटरिया के माकनपुर से पैर के लिए सभागार में जाते दिव्यांग अजय गुप्त • जागरण

माकनपुर गांव के अजय गुप्त का घुटने से नीचे का दायां पैर नहीं था। वह पैर के लिए आए थे, जिससे आसानी से चल सकें। अदालत जिला स्तरीय होने से उनको निराश लौटना पड़ा। सभाकक्ष के बाहर ट्राई साइकिलों की भरमार रही। 124 प्रकरण आये। अदालत सुबह-11 बजे से सायं चार बजे तक चली।

जिला दिव्यांगजन, सशक्तीकरण अधिकारी चंद्रेश त्रिपाठी के अनुसार टंडौली के दिव्यांग ऋषभ सिंह को राज्य आयुक्त दिव्यांग कुर्सी से उठकर आदेश की प्रति व दिव्यांगता का प्रमाणपत्र देने आए। सुनवाई के बाद आयुक्त ने आश्वस्त किया कि जिन विभागों के प्रकरण लंबित हैं, उन विभागों के संबंधित अधिकारियों के कार्यालय में उपस्थित होकर आदेश की प्रति के साथ प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर लाभ लेने को कहा। सुनवाई में विद्युत, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, राशन कार्ड, पेयजल, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, दुकान संचालन ऋण आदि के मामले आये। उपायुक्त दिव्यांगजन सशक्तीकरण शैलेंद्र सोनकर, अपर जिलाधिकारी (नगर) सलिल कुमार पटेल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुशील कुमार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, उप जिलाधिकारी सदर सहित उपनिदेशक दिव्यांग सशक्तीकरण, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, एलडीएम व संबंधित विभाग के अधिकारी गण उपस्थित रहे।

Scanned with OKEN Scanner

दिव्यांगजनों के 124 लंबित प्रकरणों की हुई सुनवाई

अयोध्या। राज्य आयुक्त दिव्यांगजन हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों के 124 लंबित प्रकरणों की सुनवाई हुई। इस दौरान दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने, बिजली कनेक्शन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, राशन कार्ड, पेयजल सुविधा, दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण व दुकान संचालन ऋण के संबंध में मोबाइल कोर्ट का आयोजन सर्किट हाउस सभागार में किया गया। राज्य आयुक्त ने दिव्यांगजनों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की। विभागीय अधिकारियों को जांच कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लाभार्थियों को आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई। कहा गया कि जिन विभागों के प्रकरण लंबित हैं, उन विभागों के अफसरों के कार्यालय में उपस्थित होकर आदेश की प्रति के साथ प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर लाभ हासिल करें। इस दौरान उपायुक्त दिव्यांगजन सशक्तीकरण शैलेंद्र सोनकर, एडीएम एफआर सलिल पटेल, सीएमओ डॉ. सुशील कुमार व एसपी ग्रामीण बलराम चौधरी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो

Scanned with OKEN Scanner

दिव्यांगो के लम्बित प्रकरणों की सुनवाई के लिए आयोजित मोबाइल कोर्ट।

दिव्यांगों के लम्बित प्रकरणों की सुनवाई हुई

अयोध्या। राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों को उपलब्ध सुविधाओं के सम्बन्ध में लंबित प्रकरणों की सुनवाई के लिए मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने, विद्युत, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, राशन कार्ड, पेयजल, दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, दुकान संचालन ऋण के सम्बंध में इसका आयोजन किया गया था। अधिकारियों को जांच कर त्वरित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित करते हुए लाभार्थियों को आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई।

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय मोबाइल कोर्ट में आये दिव्यांग-जनों के 124 मामले

अयोध्या।

दिव्यांग-जनों की समस्यायों को लेकर गुरुवार को न्यायालय मोबाइल कोर्ट का आयोजन सर्किट हाउस के सभागार में सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक किया गया।

न्यायालय मोबाइल कोर्ट राज्य आयुक्त दिव्यांगजन हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में आयोजित किया गयी। मोबाइल कोर्ट में दिव्यांग-जनों से सम्बन्धित लगभग 124 शिकायतों की सुनवाई की गयी।

कोर्ट में दिव्यांग-जनों को उपलब्ध सुविधाओं, दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने, विद्युत, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, राशन कार्ड, पेयजल, दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, दुकान संचालन ऋण आदि के सम्बन्ध में न्यायालय मोबाइल कोर्ट में विचार किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त दिव्यांगजन सशक्तिकरण शैलेंद्र सोनकर, अपर जिलाधिकारी नगर सलिल कुमार पटेल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुशील कुमार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, उप जिलाधिकारी सदर सहित उपनिदेशक दिव्यांग सशक्तिकरण, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, एलडीएम व संबंधित विभाग के अधिकारी गण उपस्थित रहे।

Scanned with OKEN Scanner

दिव्यांगों के लंबित प्रकरणों की हुई सुनवाई

अयोध्या (स्वरूप संवाददाता)। राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0, हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों को उपलब्ध सुविधाओं, दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने, विद्युत, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, राशन कार्ड, पेयजल, दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, दुकान संचालन ऋण आदि के सम्बन्ध में न्यायालय/मोबाइल कोर्ट (प्रात: 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक) का आयोजन सर्किट हाउस सभागार में किया गया। न्यायालय/ राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0 के द्वारा दिव्यांगजनों से सम्बन्धित लगभग 124 शिकायतों की सुनवाई की गई, जिसमें विद्युत, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, राशन कार्ड, पेयजल, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, दुकान संचालन ऋण आदि से सम्बन्धित थे। सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को जॉच कर त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करते हुए लाभार्थियों को आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई तथा निर्देशित किया गया कि जिन विभागों से सम्बन्धित प्रकरण लंबित हैं उन विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों के कार्यालय में उपस्थित होकर आदेश की प्रति के साथ प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर लाभ प्राप्त करें।

Scanned with OKEN Scanner

दिव्यांगों के लंबित प्रकरणों की हुई सुनवाई

अयोध्या। राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0, हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों को उपलब्ध सुविधाओं, दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने, विद्युत, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, राशन कार्ड, पेयजल, दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, दुकान संचालन ऋण आदि के सम्बन्ध में न्यायालय/मोबाइल कोर्ट (प्रातः 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक) का आयोजन सर्किट हाउस सभागार में किया गया। न्यायालय/राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0 के द्वारा दिव्यांगजनों से सम्बन्धित लगभग 124 शिकायतों की सुनवाई की गई, जिसमें विद्युत, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, राशन कार्ड, पेयजल, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, दुकान संचालन ऋण आदि से सम्बन्धित थे। सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को जॉच कर त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करते हुए लाभार्थियों को आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई तथा निर्देशित किया गया कि जिन विभागों से सम्बन्धित प्रकरण लंबित हैं उन विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों के कार्यालय में उपस्थित होकर आदेश की प्रति के साथ प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर लाभ प्राप्त करें। इस अवसर पर उपायुक्त दिव्यांगजन सशक्तिकरण शैलेंद्र सोनकर, अपर जिलाधिकारी नगर सलिल कुमार पटेल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, उप जिलाधिकारी सदर सहित उपनिदेशक दिव्यांग सशक्तिकरण, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, एलडीएम व संबंधित विभाग के अधिकारी गण उपस्थित रहे।

Scanned with OKEN Scanner

दिव्यांगों के लंबित प्रकरणों की हुई सुनवाई

अवध गाथा संवाददाता

अयोध्या। राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0, हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों को उपलब्ध सुविधाओं, दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने, विद्युत, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, राशन कार्ड, पेयजल, दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, दुकान संचालन ऋण आदि के सम्बन्ध में न्यायालय/मोबाइल कोर्ट (प्रातः 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक) का आयोजन सर्किट हाउस सभागार में किया गया। न्यायालय/राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0 के द्वारा दिव्यांगजनों से सम्बन्धित लगभग 124 शिकायतों की सुनवाई की गई, जिसमें विद्युत, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, राशन कार्ड, पेयजल, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, दुकान संचालन ऋण आदि से सम्बन्धित थे। सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को जॉच कर त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करते हुए लाभार्थियों को आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई तथा निर्देशित किया गया कि जिन विभागों से सम्बन्धित प्रकरण लंबित हैं उन विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों के कार्यालय में उपस्थित होकर आदेश की प्रति के साथ प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर लाभ प्राप्त करें। इस अवसर पर उपायुक्त दिव्यांगजन सशक्तिकरण शैलेंद्र सोनकर, अपर जिलाधिकारी नगर सलिल कुमार पटेल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, उप जिलाधिकारी सदर सहित उपनिदेशक दिव्यांग सशक्तिकरण, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, एलडीएम व संबंधित विभाग के अधिकारी गण उपस्थित रहे।

Scanned with OKEN Scanner

सर्किट हाउस मे लगी मोबाइल कोर्ट, 124 से अधिक मामलों की सुनवाई

स्वतंत्र चेतना, अयोध्या। गुरुवार को सर्किट हाउस सभागार में राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन हिमांशु शेखर की अध्यक्षता में न्यायालय/मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न तहसीलों से आए दिव्यांग जनों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना तथा उनकी समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। इस मौके पर दिव्यांग जनों की खास कर समस्याएं आवास,दिव्यांगता प्रमाण पत्र, निर्गत किये जाने, विद्युत, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, रास्ता,राशन कार्ड,पेयजल, दिव्यांग पेंशन, त्रिम अंग सहायक उपकरण, दुकान संचालन ऋण आदि के सम्बन्ध में लगभग 124 से अधिक मामले आए। इसके निस्तारण के लिए वहां पर मौजूद राज्य आयुक्त दिव्यांग हिमांशु शेखर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि जिन विभागों

से सम्बन्धित प्रकरण लंबित हैं उन विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों के कार्यालय में उपस्थित होकर आदेश की प्रति के साथ प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर लाभ प्राप्त करें। इस अवसर पर उपायुक्त दिव्यांगजन सशक्तिकरण शैलेंद्र सोनकर, एडीएम सिटी नगर सलिल कुमार पटेल, सीएमओ डा० सुशील कुमार, एसपी ग्रामीण बलवंत, एसडीएम सदर राम प्रसाद तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी बृजेश कुमार, उपनिदेशक दिव्यांग सशक्तिकरण अनुपम मौर्या, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी चंद्रेश त्रिपाठी, एआरटीओ प्रवर्तन/प्रशासन डा० आरपी सिंह, एलडीएम गणेश शंकर यादव, एआरएम आदित्य प्रकाश, जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित कई विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

Scanned with OKEN Scanner

दिव्यांगों के लंबित प्रकरणों की हुई सुनवाई

पावन भारत टाइम्स

अयोध्या। राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0, हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों को उपलब्ध सुविधाओं, दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने, विद्युत, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, राशन कार्ड, पेयजल, दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, दुकान संचालन ऋण आदि के सम्बन्ध में न्यायालय/मोबाइल कोर्ट (प्रातः 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक) का आयोजन सर्किट हाउस सभागार में किया गया। न्यायालय/राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0 के द्वारा दिव्यांगजनों से सम्बन्धित लगभग 124 शिकायतों की सुनवाई की गई, जिसमें विद्युत, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, राशन कार्ड, पेयजल, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांग पेंशन, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, दुकान संचालन ऋण आदि से सम्बन्धित थे। सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को जाँच कर त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करते हुए

लाभार्थियों को आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई तथा निर्देशित किया गया कि जिन विभागों से सम्बन्धित प्रकरण लंबित हैं उन विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों के कार्यालय में उपस्थित होकर आदेश की प्रति के साथ प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर लाभ प्राप्त करें। इस अवसर पर उपायुक्त दिव्यांगजन सशक्तिकरण शैलेंद्र सोनकर, अपर जिलाधिकारी नगर सलिल कुमार पटेल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, उप जिलाधिकारी सदर सहित उपनिदेशक दिव्यांग सशक्तिकरण, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, एलडीएम व संबंधित विभाग के अधिकारी गण उपस्थित रहे।

Scanned with OKEN Scanner